प्रस्तुत हो   25.07.24 को

सहायक कलक्टर (फा०ट्रै०)
मुण्डावर (शिविर-तिजारा)

05.07.24 पत्रावलि प्रस्तुत हुई। प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा पर बहस जिगत तारीख पेशी पर सुनी जा चुकी है। प्रार्थना पत्र पर आदेशिका दिनांक 31.10.2022 से विवादित आराजी बाबत अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गयी थी।

प्रकरण में प्रार्थी ने इस आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है कि विवादित आराजी शामिलाती आराजी है, जिसका विधिवत बंटवारा नहीं हुआ है। केवल बाहमी बंटवारे के अनुसार काश्तकार अपने-अपने हिस्से पर काबिज काश्त है। अप्रार्थीगण अव्वली-2 आराजी पर कब्जा कर दीगर जगह बेचान करने व खुर्द-बुर्द करने पर उतारू है तथा बिना तकासमा निर्माण करना चाहते है। बिना तकासमा कराये आराजी का कहीं बेचान न किया जावे ना ही खुर्द-बुर्द रहन बय

सहा... (फा०ट्रै०)
मुण्डावर (... तिजारा)

करे न भिन प्रार्थी को कास्त करने में व्यवधान पैदा करे ना ही किसी प्रकार का निर्माण करें।

अप्रार्थी स० 1 व 2 ने जवाब प्रा०पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया है कि अप्रार्थी स. 1 व 2 ने अप्रार्थीगण स. 3,4,5,6 से रजिस्टर्ड बैयनामा से दिनांक 07/10/22 को आराजी को क्रय कर लिया है तथा विक्रेता के कब्जे के स्थान पर ही कब्जा विक्रेता ने उन्हें दिया है। अप्रार्थी को तकासमा में कोई आपत्ति नही है परन्तु विक्रेता प्रति. स. 3,4,5,6 के स्थान पर अप्रार्थी स. 1 व 2 (क्रेता) के नाम राजस्व रिकार्ड में अंकित कर कुर्रे रिपोर्ट बनायी जावें। बैयनामा के आधार से खरीद के बाद भी राजस्व रिकार्ड में विक्रेता का नाम रहने से पुन: विक्रय होने से कब्जे काश्त का विवाद बढ़ने की आशंका बनी रहेगी इसलिए विक्रय होने के बाद राजस्व रिकार्ड में रजिस्टर्ड दस्तावेज के अनुसार इन्द्राज आवश्यक है। इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावें।

दौरान बहस अधिवक्ता प्रार्थी ने कथन किया कि श्योचन्द के वारीसान द्वारा बिना तकासमा आराजी का बेचान किया गया है। माता के द्वारा बेचान करवाया गया है। अलवर-बहरोड़ रोड पर अच्छी आराजी को अप्रार्थी लेना चाहता है जबकि सरस-नरस

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गुढ़ाचन्द्र
हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

सतीश बनाम पिंकी | 21.8.24 | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए।

के आधार पर बँटवारा होना चाहिए। इंतकाल की कार्यवाही को रोका जाना चाहिए। सभी नम्बरों में से सभी काश्तकारों को हिस्सानुसार आराजी दी जावें।

अधिवक्ता अप्रार्थी ने दौरान बहस कथन किया कि प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों के बाहर बहस सुनायी है। अप्रार्थी ने वयस्क विक्रेता से आराजी रजिस्टर्ड दस्तावेज से क्रय की है और विक्रेता के कब्जे के स्थान पर कब्जा प्राप्त किया है। प्रार्थी केवल अपने हिस्से तक अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त कर सकता है, परन्तु प्रार्थी ने हमारे नामान्तरकरण, जो दर्ज हो चुका है उस पर आगे निर्णय की कार्यवाही को इस अस्थायी निषेधाज्ञा की आड़ में रुकवाया हुआ है, जो विधिसंगत नहीं है। नामान्तरकरण खोलने की अनुमति देते हुए हमारे नाम का इन्द्राज राजस्व रिकार्ड में किया जाकर नियमानुसार बंटवारा किये जाने में हमें कोई आपत्ति नहीं है।

पत्रावलि का अवलोकन किया। बहस पर मनन किया। इसके उपरान्त यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि अप्रार्थी स. 1 व 2 ने अप्रार्थी 3 लगा. 6 से आराजी विवादित जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा दिनांक 07/10/22 से क्रय कर ली थी जिसके बाबत नामा. स. 158 दिनांक 14/10/2022 को दर्ज किया गया जो फिलहाल प्रक्रियाधीन है। [signature]

प्रार्थी द्वारा अस्थायी निषेधाज्ञा बाबत प्रार्थना पत्र दिनांक 30.10.22 को प्रस्तुत किया गया है जो कि नामा० 158 के दर्ज होने की दिनांक के बाद का है इसलिए यह उचित प्रतीत होता है कि नामान्तरकरण के समुचित निर्णय की कार्यवाही को नहीं रोका जावें। और क्रेता पक्षकार (अप्रार्थी सं. 1 व 2) का नाम राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी में अंकित होने/नहीं होने के निर्णयोपरान्त पर ही आराजी के विभाजन के दावे का वैधानिक खातेदारों के नाम के अनुसार किया जा सकेगा। परन्तु यह भी न्यायसंगत है कि अजनबी क्रेता बिना विधिवत बँटवारे के खरीदशुदा आराजी के विशिष्ट भू-भाग पर कब्जा न करे और किसी विशिष्ट भू-भाग का अन्तरण न करें।

अतः प्रार्थना पत्र बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा पर आदेशिका दिनांक 31.10.2022 को इस प्रकार से संशोधित करते हुए तामील वाद संपुष्ट किया जाता है कि "अप्रार्थीगण 1 व 2 विवादित आराजी के क्रेता है और इस खरीदशुदा आराजी के नामान्तरकरण सं० 158 पर नियमानुसार निर्णय किये के लिए वह इस अस्थाई निषेधाज्ञा से अप्रभावित रहेगा। अप्रार्थीगण विवादित आराजी का विधिवत तकासमा होने तक क्रयशुदा आराजी पर अनाधिकृत प्रवेश कर किसी विशिष्ट भू-भाग पर जबरन कब्जा नहीं करेंगे। प्रार्थी के हिस्से व

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

सतीश बनाम चिंकी

212 RT Act

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
...धानुसार कब्जा काश्त में मजाहमत पैदा नहीं करेंगे तथा कोई निर्माण कार्य भी नहीं करेंगे। अप्रार्थीगण आराजी के विशिष्ट भू-भाग या हिस्सा विशेष का उल्लेख कर आराजी का अन्तरण, रहन, बैय, मुन्तकिल नहीं करें।"	
निर्णय आज दिनांक 05/6/2024 को मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली बाद तामील कार्यवाही नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।	
(पीठासीन अधिकारी)	
सहायक कलक्टर (फा०ट्र०)	
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)	